



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

46-2022/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 12, 2022 (PHALGUNA 21, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 12th March, 2022

No. 11-HLA of 2022/20/5816.— The Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Amendment Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 11-HLA of 2022

THE HARYANA MECHANICAL VEHICLES (LEVY OF TOLLS) AMENDMENT BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Amendment Act, 2022. Short title.
2. For sub-section (2) of section 7 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 7 of Haryana Act 9 of 1996.

“(2)Any person who is authorised to demand, collect and retain tolls under an order made under section 4, shall cause to maintain the road, road infrastructure including bridges, tunnels, ferries, approach roads or section of new roads or bye-passes, as the case may be, in respect of which the order is made, in good traffic worthy condition.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 provides for the Levy and collection of Tolls on Mechanical Vehicles crossing certain Roads which are notified for the purpose.

Since, Haryana has limited resources, and to attract Private Finance for development of Road Network in the State, installation of Tolls is a good solution. It is advantageous for supplementing the funds required for new projects like construction of Expressway, Elevated Highways, Bye – Passes, Bridges etc. The operation of Tolls is carried out through Entrepreneurs after calling competitive bids. The highest bidder is allotted the work for period of 18 months who deposits a fixed amount of installment with the Govt. every month.

The maintenance of toll facilities is prescribed under Section- 7(2) of the Haryana Mechanical Vehicle (Levy of Tolls), Act 1996. The Section- 7(2) is as under:-

“Any person who is authorized to demand, collect and retain tolls under an order made under section 4, shall maintain in good repair and condition and in accordance with sound engineering practices the road, road infrastructure including bridges, tunnels, ferries, approach roads or section of new roads or by-passes, as the case may be, in respect of which the order is made.”

A

The Department is of the view that the existing Section-7(2) marked “A” is a little ambiguous and should be substituted with Modified Version marked “B” so as to make it more meaningful. The proposed Modified Version of Section- 7(2) is as under:-

“Any person who is authorized to demand, collect and retain tolls under an order made under section 4, shall cause to maintain the road, road infrastructure including bridges, tunnels, ferries, approach roads or section of new roads or bye- passes, as the case may be, in respect of which the order is made, in good traffic worthy condition.”

B

It would be appropriate to summarize that the proposed Amendment in Section -7 (2) of “**Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Amendment Bill, 2022**” intends to create well maintained and better Road Infrastructure for the Toll payers.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 12th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary,
Haryana Vidhan Sabha.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 11-एच०एल०ए०

हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन विधेयक, 2022

हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 1996 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 7 का संशोधन।

"(2) कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन पथकरों की मांग करने, संग्रहण करने तथा रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, पुलों, सुरंगों, नौघाटों, पहुंच सड़कों या नई सड़कों के भाग या उपमार्गों, जैसी भी स्थिति हो, सहित सड़क, सड़क अवसंरचना, जिनके संबंध में आदेश किया जाता है, को अच्छी यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखेगा।"

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम - 1996 कुछ सड़कों को पार करने वाले यांत्रिक वाहनों पर पथकर लगाने और संग्रह के लिए प्रदान करता है, जो इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित हैं ।

चूंकि, हरियाणा में सीमित संसाधन हैं, और राज्य में सड़क नेटवर्क के विकास के लिए निजी वित्त को आकर्षित करने के लिए, टोल की स्थापना एक अच्छा समाधान है । नई परियोजनाओं जैसे एक्सप्रेस-वे, एलिवेटेड हाइवे, बाय-पास, पुल आदि के लिए आवश्यक धन के पूरक के लिए यह लाभदायक है । प्रतिस्पर्धी निविदाओं को आमंत्रित करने के बाद पथकर का संचालन उद्यमियों के माध्यम से किया जाता है । उच्चतम निविदा राशि वाले उद्यमी को अठारह महीने के अवधि के लिए काम आंबटित किया जाता है जो सरकार के खजाने में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं ।

टोल सुविधाओं का रखरखाव हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम-1996 की धारा-7 (2) के तहत निर्धारित है। अनुच्छेद धारा-7 (2) निम्नानुसार है:-

"कोई व्यक्ति जो, धारा-4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन पथ करों, के मांगने, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, पुलों, सुरंगों, नौघाटों, पहुंच सड़कों या नई सड़कों के भाग या उपमार्गों, जैसी भी स्थिति हो, जिनके संबंध में आदेश किया जाता है, सहित सड़क, सड़क अवसंरचना को अच्छी मरम्मत तथा हालत तथा सही इंजीनियरी कार्य के अनुसार बनाए रखेगा।"

क

विभाग का विचार है कि "क" चिह्नित धारा-7 (2) का मौजूदा खंड थोड़ा अस्पष्ट है और इसे "ख" के रूप में चिह्नित संशोधित संस्करण के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके । धारा-7 (2) का प्रस्तावित संशोधित संस्करण निम्नानुसार है :-

"कोई व्यक्ति, जो धारा-4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन पथकरों के मांगने, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, पुलों, सुरंगों, नौघाटों, पहुंच सड़कों या नई सड़कों के भागों या उपमार्गों सहित सड़क, सड़क अवसंरचना, जैसी भी स्थिति हो, जिनके संबंध में आदेश किया जाता है, को अच्छी यातायात स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।"

ख

यह संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित होगा कि प्रस्तावित 'हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन विधेयक, 2022 की धारा-7 (2)' में प्रस्तावित संशोधन पथकर भुगतानकर्ताओं के लिए अच्छी तरह से बनाये रखा गया और बेहतर सड़क ढांचा बनाने का प्रयोजन रखता है ।

दुष्यंत चौटाला,
उप मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 12 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।